न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 05/2022

बउनवान

तोलाराम पुत्र सीताराम उम्र 57 वर्ष जाति मीणा निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक— 16.09.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 30.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बलवनखेड़ी तहसील—मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.32 है., किस्म—चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 288/—रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट की अपील इस आशय की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही रहा है और न किसी सरकारी भूमि पर उसका कब्जा है मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। निर्णय से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की स्थिति को ध्यान में नहीं रखा ना ही कब्जे बाबत कोई स्वतंत्र तहकीकात की महज हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2022 निरस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का किसी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किये जाने में त्रुटि की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित किये गये जुर्माने की राशि जमा करवा दी है तथा उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 13/2019 निर्णय दिनांक 31.10.2019 से बेदखल किया गया है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का के बयान एवं उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.10.19, फर्द जप्ती व बेदखलीनामा तथा फसल नीलामी कार्यवाही की प्रकरण में सलग्न छायाप्रतियों से होती है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है, अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर सम्वत् 2076 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 13/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान एवं उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 31.10.19, फर्द जप्ती व बेदखलीनामा तथा फसल नीलामी कार्यवाही की प्रकरण में सलग्न छायाप्रतियों से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 246/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2022 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को भरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)